

2

पत्रांक- 802 :  
बिहार सरकार,  
मानव संसाधन विभाग विभाग ।

प्रेषक,

श्री हेमचन्द्र झा,  
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सचिव,  
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एज्युकेशन,  
शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत बिहार  
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 ।

पटना, दिनांक- 14 दिसम्बर, 05 ।

विषय:- एसओआरटीओ विद्यालय राहुन नगर, मुजफ्फरपुर को सीओबीएसईओ नई दिल्ली से सम्बन्धना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

पहाण,

निदेशानुसार उपर्युक्त विद्या को ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 15-11-05 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सर्व-सम्मति से लिए निर्णय के आलोक में एसओआरटीओ विद्यालय, राहुननगर, मुजफ्फरपुर को इन गतर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि सीओबीएसईओ बोर्ड, नई दिल्ली, सम्बन्धना लेने के पूर्व यह देख लें कि विद्यालय सभी निर्धारित गतर्तों को पूरा करना है ।

बिनामभाजन,  
*(Signature)*

श्री हेमचन्द्र झा  
सरकार के अपर सचिव, बिहार।

पत्रांक- 802 पटना, दिनांक- 14 दिसम्बर, 05 ।

प्रतिनिधि संबंधित विद्या प्रधानाधिकाारी/संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित विद्या विद्या प्रधानाधिकाारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

§2§ वैशेषिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष रूप से रूप एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

§3§ निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा सकती है:-

§क§ विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समक्य वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान

*(Signature)*  
PRINCIPAL  
SRT SCHOOL  
MUZZAFFARPUR, BIHAR

2

नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक विलम्ब किया जा रहा है,

§ ४ § अनापत्ति प्राप्त पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाने जाने अथवा वास्तविक स्थिति में भिन्न होने पर ।

§ ५ § विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जित पट के लिए राशि की व्यवस्था हो उसका दूसरे पद में व्यय किया जा रहा है ।

§ ६ § विद्यालय ऐसी गणविधि में संग्रह हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी विधियों के विरुद्ध हो एवं ऐसी नार्डवाइ के जा रही हो जिनमें भाज के विभिन्न सोसाइटी के बीच कटुता पैदा हो ।

§ ७ § गी० पी० एम० की मातृशाला के मातृशालाओं में गी० पी० एम० के मातृशाला विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किये जाने पर ।

*Handwritten signature and date: 14.12*

ज्ञापक- 802 पटना, दिनांक- 14 दिसम्बर, 05 ।  
प्रतिनिधि सचिव/निदेशक/आ० पी०/निदेशक/आ० पी०/सरकार के  
अपर सचिव/विभा के प्रभारी उप निदेशक/आ० पी० मानव संसाधन विकास विभाग  
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

*Handwritten signature and date: 14.12*

ज्ञापक- 802 पटना, दिनांक- 14 दिसम्बर, 05 ।  
प्रतिनिधि माननीय शिक्षा मंत्री के सचिव, सरकारी अधिवक्ता - 8  
माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवाक कर्तव्य प्रेषित ।

*Handwritten signature and date: 14.12*

§ हेमचन्द्र झा §  
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।  
14.12

*Murresh*

PRINCIPAL,  
SRT SCHOOL,  
MUZZAFFARPUR, BIHAR



मानव संसाधन विभाग, विहार।

प्रेम,

श्री कमेकर प्रसाद सिंह,  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार।

सेवा में,

अध्यक्ष,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्लेक्स रोड,  
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक- मई, 09 ।

विषय:- सतगुरुटी0 स्कूल राहुन नगर मुजफ्फरपुर का स्थान परिवर्तन करने के संबंध में ।

प्रस्ताव,

अधुना शिक्षक जिना शिक्षा महा मिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या- 670 दिनांक 13-3-2000 की छाया प्रति अनुसूचित शक्ति संग्रह करते हुए ज्ञप्ति है कि सतगुरुटी0 स्कूल राहुन नगर मुजफ्फरपुर का स्थान परिवर्तन के विन्दु पर उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। अनुनाक-माधोपरी ।

श्री कमेकर प्रसाद सिंह ॥  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार ।

पटना, दिनांक- मई, 09 ।  
श्री मिलिपि जिना शिक्षा महा मिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या 670 दिनांक 13-3-2000 के प्रसंग में सूचना एवं आवायक कार्याय प्रेषित ।

श्री कमेकर प्रसाद सिंह ॥  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार ।

590 पटना, दिनांक- मई, 09 ।  
श्री मिलिपि प्राचार्य, सतगुरुटी0 स्कूल, राहुन नगर मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवायक कार्याय प्रेषित ।

श्री कमेकर प्रसाद सिंह ॥  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार ।

Mukesh  
PRINCIPAL  
S.S. SCHOOL  
MUZZAFFARPUR, BIHAR

मानव संसाधन विभाग का भुगतान

पत्रांक 672/

प्रेमक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर

सेवा में,

उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
बिहार, पटना

मुजफ्फरपुर, दिनांक 12.3.2008

महाराज,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 185 दिनांक 20.02.2008 के संदर्भ में दिनांक 12.03.2008 को एस.आर.टी. स्कूल, रीतनिया राजस्व प्रखण्ड काँटी का स्थल निरीक्षण किया जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नवत् है :

1. यह विद्यालय मुजफ्फरपुर रोड में अवस्थित है। इस सड़क मार्ग में किसी स्थान पर सी.बी.एस.ई. मान्यता प्राप्त विद्यालय अवस्थित नहीं है।
2. यह विद्यालय वर्तमान में रीतनिया में राजस्व प्रखण्ड मड़वन में संचालित है जिसकी भूमि से सम्बन्धित विवरणी जो अंचलाधिकारी, काँटी द्वारा निर्गत है तथा भूमि निबंधन अभिलेख की भी छायाप्रति संलग्न है। ज्ञातव्य हो कि मड़वन प्रखण्ड, काँटी प्रखण्ड से अलग होकर नया बना है।
3. इस विद्यालय में चार एसवेस्टस छत वाले तथा छः पक्के, कुल 10 वर्ग कक्षाएँ तैयार हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय है।
4. विद्यालय में खेल का मैदान है, जिसका उन्नयन प्रक्रियाधीन है।
5. यह विद्यालय वर्ग VIII तक संचालित है, जिसके छात्र संख्या निम्नवत् है :-

वर्ग	छात्र संख्या
नर्सरी	45
कोज्जी0	34
वर्ग-1	45
वर्ग-2	32
वर्ग-3	39
वर्ग-4	26
वर्ग-5	33
वर्ग-6	42
वर्ग-7	34
वर्ग-8	30

कुल- 360

अतः उपर्युक्त अंकित तथ्यों के आलोक में एस0आर0टी0 स्कूल, राहुल नगर, मुजफ्फरपुर को नये स्थान पर संचालन के सम्बन्ध में प्रचार किया जा सकता है।

अ-3-01/57 पृष्ठ

विश्वासभाजन

12.3.08

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

मुजफ्फरपुर


*Alexesh*  
**PRINCIPAL**  
SRT SCHOOL  
MUZZAFFARPUR, BIHAR

12.3.08

12.3.08

जिला शिक्षा पदाधिकारी का मुद्रा





CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION  
(AFFILIATION BRANCH)  
Shiksha Kendra, 2 Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110 022

REGD:

Date: 16/01/2007

CBSE/AF/SL/00029/0708

The Manager,  
SRT School, Rahul Nagar,  
P.O.-M.L.I. Muzaffarpur,  
Bihar-842003

Subject: Request for grant of Provisional affiliation upto Secondary level

This is with reference to your application dated 20/5/2006 and subsequent visit of the Inspection Committee on 12.12.06 for assessing the suitability of the school for grant of Provisional affiliation upto Secondary level.

In this connection, I am directed to inform you that while processing the report of Inspection Committee the following deficiencies have been observed:-

1. School is presently running in an area of 0.12 acre. The new building on 2.02 acres plot is under construction and is 10 km away from the present location of the school for which NOC is being granted.
2. The School is required to shift to new site and submit shifting permission from State Education department.
3. School does not have adequate infrastructure including developed playground required for affiliation with the board.
4. It is observed that there are 65 untrained teachers in the school. As per affiliation bye-laws School is required to appoint more trained teachers to maintain optimum student-teacher ratio as prescribed in affiliation bye-laws. Besides Principal school is required PRTs (I-V) and TGT (VI-VIII) at the ratio of 1:1.5 teacher per section in the prescribed scale of pay with admissible allowances.

The school has not submitted copy of balance sheet of previous 3 financial years.

In the light of above deficiencies the Board after due consideration has decided to reject your request for grant of Provisional affiliation upto Secondary level registered for 2007-2008 session. You are requested to remove the above deficiencies and apply afresh on line with requisite definite compliance with supportive evidence through on line at [www.cbseonline.in](http://www.cbseonline.in).

You are strictly advised not to use the name of CBSE and also not to open the classes under CBSE pattern otherwise the Board shall not be responsible any consequences arising out of it.

(1) (Signature)  
Assistant Secretary (AF)

(Signature)  
PRINCIPAL  
SRT SCHOOL  
MUZZAFFARPUR, BIHAR

Page - 2